

# लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल 462023

दूरभाष 91-0755-2583650 फेक्स 2593651 ई-मेल dpimp@sancharnet.in

Email

क्रमांक/स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./33/2010/1391

भोपाल, दिनांक 3/11/10

// आदेश //

निम्नांकित कर्मचारी का स्वेच्छा के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण समान सामार्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित जिले में किया जाता है:-

क्रं.	नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना एवं जिला	स्थानांतरित जिले/कार्यालय का नाम
1	2	3	4
1	श्री रामस्वरूप पाराशर, सहायक ग्रेड-2 (UNIQUE CODE-AA8743)	शा.उ.मा.वि. डोबी, बुदनी, जिला सीहोर (DISE CODE-23330277710)	रायसेन
2	श्री गणेश प्रसाद मरावी, सहायक ग्रेड-3 (UNIQUE CODE-AS3363)	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, नरसिंहपुर (DISE CODE- 234001ODS01)	कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, जबलपुर संभाग जबलपुर (DISE CODE-1802003001)
3	श्री मिर्जा इनकिरार हुसैन, भृत्य (UNIQUE CODE-AC4288)	शा.उ.मा.वि. पिपरई जिला अशोकनगर (DISE CODE- 47C2003005)	गुना
4	सुश्री फरहत जहाँ, भृत्य (UNIQUE CODE- BQ1278)	शा.मा.वि. सावन जिला नीमच (DISE CODE- 23180717406)	इन्दौर
5	श्री सूर्यकली वर्मा, भृत्य (UNIQUE CODE-AW4010)	शा. हाईस्कूल शुकवाह, जिला सतना (DISE CODE- 23139966605)	रीवा
6	श्री रियासत खॉन, भृत्य (UNIQUE CODE- BI8442)	शा.हाईस्कूल लूनेरा जिला रतलाम (DISE CODE- 23200566602)	खण्डवा

2/ मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ 6-1/2010/एक/9, दिनांक 20.04.2010 (वर्ष 2010-11 की स्थानांतरण नीति) की कंडिका 9.25 के अनुक्रम में स्थानांतरित जिले/स्थान में पद रिक्त होने की पुष्टि उपरांत ही संस्था में रिक्त पद पर पदस्थापना की जाए।

3/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी।

4/ उक्त सभी स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये।


निरंतर . . .

6/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांती परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे। यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लंबित हो तो कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत करायें !

7/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के संबंधित अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा।

8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना स्थानांतरित जिले के संबंधित अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में की जाए। पदस्थापना आदेश जारी होने के उपरांत ही संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ती उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में तत्काल उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।


प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार

  
(अशोक बर्णवाल)  
आयुक्त  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठा.क्र./स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./33/2010/1392  
प्र.लिपि:-

भोपाल, दिनांक 3/11/10

1. निज सहायक, मान. स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
2. निज सहायक, मा. राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, (मंत्रालय) वल्लभ-भवन, भोपाल।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, म.प्र.।
5. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग मध्यप्रदेश।
6. सहायक संचालक (समन्वय) स्थानीय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र.।
8. संबंधित संस्था प्रमुख कार्यालय प्राचार्य/विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी/प्रधानाध्यापक, म.प्र.।
9. ओ.एस.डी. स्थापना-4 (स्थानीय)।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
10. संबंधित कर्मचारियों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

  
आयुक्त  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

## लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल 462021

दूरभाष 91-0755-2583650 फेक्स 2583651 ई-मेल dpimp@sancharnet.in

क्रमांक : स्था-4/सी/अ.जि.स्थानां./33/2010/1393  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 3/11/10

जिला शिक्षा अधिकारी,  
जिला-सीधी एवं नीमच  
मध्यप्रदेश ।

विषय:- स्वेच्छिक अंतर जिला स्थानांतरण के संबंध में ।

—0—

विषयान्तर्गत निम्नांकित कर्मचारियों का आवेदन संस्था प्रमुख के प्रमाणीकरण एवं अनुशंसा सहित भिजवाना सुनिश्चित करें :-

स.क्र.	आवेदन का नाम एवं/पद/वर्तमान पदस्थापना	स्थानांतरण हेतु चाहा गया जिला
1	2	3
1	श्री नरेश सिंह बघेल, सहायक ग्रेड-2 जिला शिक्षा अधिकारी, सीधी	सिंगरोली
2	श्री अजय कुमार नेवारे, भृत्य शा. बालक उ.मा. वि. जीरन जिला नीमच	बालाघाट



(अशोक बर्णवाल)


आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ. क्र. : स्था-4/सी/अ.जि.स्थानां./33/2010/1394  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 3/11/10

1. विशेष सहायक, मा. मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
2. विशेष सहायक, मान. राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
3. अवर सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल ।
4. संबंधित-कर्मचारी गण ।



आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश



## लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल 462023

दूरभाष 91-0755-2583650 फेक्स 2583651 ई-मेल dpimp@sancharnet.in

क्रमांक/स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./38/2010/1395

भोपाल, दिनांक 3/11/10

// आदेश //

निम्नांकित कर्मचारी का स्वेच्छा के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख अंकित जिले में किया जाता है:-

क्रं.	नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना एवं जिला	स्थानांतरित कार्यालय/ जिले का नाम
1	2	3	4
1	श्री आशुतोष मेहता, सहायक ग्रेड-3 (UNIQUE CODE- BA3807)	जिला शिक्षा अधिकारी, शाजापुर ( DISE CODE-232206ODS01)	संयुक्त संचालक उज्जैन संभाग उज्जैन (UNIQUE CODE-232107ORS01)
2	श्री महेश कुमार सिलावट, भृत्य (UNIQUE CODE-BS8416)	शा.क.उ.मा.वि. रेहटी, जिला सीहोर ( DISE CODE- 23330277704 )	रायसेन
3	श्री आशीष कुमार रैकवार, भृत्य (UNIQUE CODE-BC6171)	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, देवसर जिला सिंगरौली ( DISE CODE - 235002OBS01)	सतना
4	श्री दीपक कदम, भृत्य (UNIQUE CODE-BM9694)	शा. शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर (DISE CODE- 230405IRS01 )	भोपाल
5	श्रीमती लता किरण झारिया, भृत्य (UNIQUE CODE-AN7650)	शा. हाईस्कूल झिन्नापिपरिया, कटनी (DISE CODE- 23380666609)	मण्डला

2/ मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ 6-1/2010/एक/9, दिनांक 20.04.2010 (वर्ष 2010-11 की स्थानांतरण नीति) की कंडिका 9.25 के अनुक्रम में स्थानांतरित जिले/स्थान में पद रिक्त होने की पुष्टि उपरांत ही संस्था में रिक्त पद पर पदस्थापना की जाएं ।

3/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा । नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी ।

4/ उक्त सभी स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी ।

5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं । पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये ।


निरंतर . . .

6/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांती परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे। यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लंबित हो तो कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत करायें।

7/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के संबंधित अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा।

8/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना स्थानांतरित जिले के संबंधित अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में की जाए। पदस्थापना आदेश जारी होने के उपरांत ही संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ती उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में तत्काल उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार



(अशोक बर्णवाल)

आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठा.क्र./स्था.4/सी/अं.जि.स्थानां./38/2010/1396  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 3/11/10

1. निज सहायक, मान. स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
2. निज सहायक, मा. राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, (मंत्रालय) वल्लभ-भवन, भोपाल।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, म.प्र.।
5. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग मध्यप्रदेश।
6. सहायक संचालक (समन्वय) स्थानीय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र.।
8. संबंधित संस्था प्रमुख कार्यालय प्राचार्य/विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी/प्रधानाध्यापक, म.प्र.।
9. ओ.एस.डी. स्थापना-4 (स्थानीय)।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
10. संबंधित कर्मचारियों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।



आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश